न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच.गौरी आर.ए.एस
अपील संख्या 05/2018 एल आर एक्ट (GCMS No 2018/ 00005)
अनवान चावली वगैरह बनाम रामी देवी वगैरह
अपील विरूद्व आदेश– अपर जिला कलक्टर नोहर के अपील सं. 39/2013 दिनांक 07.10.2015

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियन्स जज	नम्बर व तारीख अहकाल जो इस हुक्त की तामील में जारी हुऐ
29.08.2022	वकुलाय फरिकेन उपस्थित। रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक श्री विजय कुमार पारीक ने दिनांक 07.06.2022 को प्रार्थना पत्र व कानूनी आपत्ति अन्तर्गत सैक्शन 151 सी पी सी पेश कर अपीलान्ट की अपील डिफेक्टिव होने पर खारिज करने का निवेदन किया। अपीलान्ट के अभिभाषक ने इसका औपचारिक जवाब प्रस्तुत करने के स्थान पर बहस सुनने का निवेदन किया। जिस पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई। रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक विजय कुमार पारीक ने बहस के दौरान कथन किया कि अपील इन्तकाल सं. 259 चक 13 एम.डी. दिनांक 19.02.2013 एवं इन्तकाल सं. 216 चक 14 एम.डी. दिनांक 19.02.2013 दोनो आदेशो के विरूद्व एक अपील पेश की गई तथा अनुतोष मे भी दोनो अलग– अलग इन्तकाल अंकित किये है। दोनो इन्तकाल में अलग अलग चको की भूमि बाबत अपील पेश की है। दो आदेशो को विरूद्व एक अपील नही हो सकती है। नियम व कानून के अनुसार अपील डिफेक्टिव है तथा चलने योग्य नही है। अतः अपील इसी स्तर पर खारिज की जावे। रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक अपने कथन के समर्थन मे RRD 2002 पृष्ठ 330, RRD 1994 पृष्ठ 85, RRD 1983 पृष्ठ 811, का न्यायिक दृष्टांत पेश कर अपीलान्ट की अपील खारिज करने का निवेदन किया। रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के एक आदेश से दो इन्तकाल दर्ज किये गये है, इसलिए दोनो इन्तकालो की एक अपील पेश की गई है। अतः रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक की कानूनी आपत्ति खारिज कर अपील में मेरिट पर बहस सुनी जावे। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत RRD 1994 पृष्ठ 85, RRD 1983 पृष्ठ 811, का न्यायिक दृष्टांत राजस्व अपील अधिकारी द्वारा दो अलग–अलग अपीलो मे पारित आदेश के विरूद्व एक अपील पेश करने से संबंधित है जबकि प्रस्तुत प्रकरण में अपर जिला कलक्टर नोहर के विरूद्व यह द्वितीय अपील पेश की गई है। इस प्रकार प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत हुबहू चस्पा नही होता है। अन्य न्यायिक दृष्टांत RRD 2002 पृष्ठ 330, अधीनस्थ न्यायालय में अपील पोषणीय है या नही के बिन्दु पर निर्णय किये जाने के संदर्भ मे है। तथा RRD 1994 पृष्ठ 85 मे Rajasthan Revenue court manual (Part -II) Chapter II (B) का उल्लेख किया गया है जिसके अनुसार प्रत्येक निर्णय/ आदेश की पृथक अपील की जानी चाहिए क्योकि प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय अपर जिला कलक्टर नोहर के संमक्ष चक 13 .....लगातार.....	

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

एम डी के नामान्तकरण सं. 259 व चक 14 एम डी के नामान्तकरण सं. 216 के विरूद्व अपील प्रस्तुत की गई है। दोनो चक अलग–अलग है तथा अलग–अलग ही नामान्तरण दर्ज किये गये है, इसलिए इनकी अलग– अलग ही अपील अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करनी चाहिये थी। इस प्रकार अपर जिला कलक्टर नोहर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई अपील पोषणीय नही थी। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील एवं अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय अपर जिला कलक्टर नोहर के निर्णय दिनाक 07.10.2015 को खारिज किया जाता है तथा अपीलान्ट को निर्देश दिये जाते है कि आगामी 2 माह में अधीनस्थ न्यायालय में नामान्तकरण की अलग– अलग अपील प्रस्तुत करे, साथ ही इस न्यायिक प्रक्रिया के दौरान जो समय व्यतीत हुआ व मियाद में शुमार की जावे।

पत्रावली नम्बर से कम होकर आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जाकर पत्रावली बाद तरतीब,तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर